Govt. of India
Ministry of Health and Family Welfare
Directorate General of Health Services
National Council Secretariat

Nirman Bhawan, New Delhi
Date: 05.01.2023

Applications are invited for following post, for Secretariat of National Council for Clinical Establishments, located at Nirman Bhawan, New Delhi, on contractual basis for a period of one year (extendable by one more year depending on performance).

| Name of Post | No. of Posts | Qualification | Experience | | Age group | Consolidated Remuneration per month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Essential | Essential | Desirable | | |
| Consultant (Clinical Establishments) | 1 | i. Graduation Qualification – MBBS<br>ii. Post-Graduation Qualification –<br>a. Master of Public Health / Hospital Administration/MD Hospital Administration; or<br>b. MD/MS/Diploma or equivalent in any medical discipline, recognized by MCI ; or<br>c. MBA (Health Administration / Hospital Administration / Health Management) | i. One year experience after PG qualification.<br>ii. Basic Knowledge of Computers | Two years' experience of health/hospital administration/ management | 30 to 65 years | Rs.1,20,000/- |

The eligible and desirous candidates may send their application along with Biodata and copies of documents of qualification and experience by email to help.ceact2010@nic.in within 15 days from the date of publication of this Advertisement on website. The shortlisted candidate will be called to appear for interview before a selection committee.

For further details refer to website: www.mohfw.gov.in, https://dghs.gov.in and www.clinicalestablishments.gov.in

(राजीव वधावन)
(RAJIV WADHAWAN)
सलाहकार / Adviser
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

| | |
|---|---|
| **Name of Consultant** | **Consultant (Clinical Establishments)** |
| **Terms of Reference** | **<u>General TOR</u>**<br><br>1. The appointment of Consultant (Clinical Establishments) will be purely on contractual basis and Consultant (clinical Establishment) shall not claim for regularization of his/her appointment.<br>2. The Consultant will be bound by the general administrative rules of the Central Government/Ministry of Health as applicable to contractual staff and he/she will be entitled to leave of 30 days in a calendar year on prorata basis and the salary shall be deducted for any additional leave. Attendance shall be marked by the Consultant.<br>3. The appointment is on full time basis with the timing of work from 9.30 AM to 6 PM.<br>4. The consultant would be under administrative control of DGHS and report to Addl DDG (AK) or concerned nodal officer dealing with Clinical Establishment Act and National Council Work in the Directorate General of Health Services His/her services may also be utilized, whenever required by the concerned Joint Secretary, MoHFW, the Secretary of the National Council or his representative.<br>5. A monthly progress report will be submitted by the consultant.<br>6. Performance will be reviewed monthly and unsatisfactory progress may lead to termination of the contract.<br>7. The contract can be terminated by Dte.GHS/Ministry of Health and Family Welfare at any time without assigning any reason.<br>8. The contract can be terminated by the consultant by giving a month's notice, in absence of which one month's salary will be forfeited.<br>9. He/ She will be paid consolidated remuneration of Rs. 1,20,000/-. The Consultant (Clinical Establishment) will be entitled to TA/DA for official outstation visits as applicable to Group A officers of Grade Pay 5400/- including air-travel by economy class of Air-India wherever applicable.<br><br>**<u>Specific TOR</u>**<br><br>1. Maintain and update operational framework for National Council for Clinical Establishments.<br>2. Provide technical guidance and inputs in respect of the functions of National Council for Clinical Establishments.<br>3. Examine all technical matters referred to the National Council for Clinical Establishments and submit such reports to the nodal officer and if required to National Council and MoHFW.<br>4. Finalisation of classification of the Clinical Establishments into different categories based upon the comments of stakeholders received and submit the same to competent authority for approval. |

| | |
|---|---|
| | 5. Facilitate development of an online system of registration of Clinical Establishments as per the provisions of the Clinical Establishments Act.<br>6. Finalisation of Minimum Standards of different categories of the Clinical Establishments based upon comments received and submit the same to competent authority for approval. After Approval facilitate the same for notification in due course as per requirements.<br>7. Drafting of new, review and updation of existing Standard Treatment Guidelines in consultation with experts/professional societies.<br>8. Provide technical inputs for development of web-portal of Clinical Establishments.<br>9. Facilitate organizing meeting of National Council and its sub-committees/sub-groups and recording of minute's etc. Take action for implementation of decisions of meeting of national council/ sub-committees/sub-groups.<br>10. Organization of workshops or meeting, in coordination with respective States/UT Governments, if needed for dissemination of information, creating awareness, orientation and training, monitoring & supervision and visits to concerned States/UTs will be undertaken.<br>11. Organize Training and capacity building including development of training curriculum required for implementation of the Act and the compliance of minimum standards for Clinical Establishments.<br>12. Coordinate with States/UTs for proper implementation of Clinical Establishments Act & rules thereunder.<br>13. Preparing replies to all Parliamentary matters, questions and RTI, RTI Appeal matters etc.<br>14. Help in preparation of replies, comments, draft affidavit in respect of Court cases related to Clinical Establishments with legal assistant.<br>15. Coordinate with NHM division of Ministry & State for facilitation/sanction of budget for implementation of provisions of Clinical Establishments Act.<br>16. Review of PIP's along with Statistical Assistant, of States/UTs in respect of Clinical Establishments Act wherever the Act is applicable and submits the comments to NHM division accordingly.<br>17. Facilitate compilation and Publishing a National Register of Clinical Establishments.<br>18. Facilitate collection of the Statistics in respect of the Clinical Establishments, as determined by the National Council.<br>19. Guide the National Council & States about any matters related to Act.<br>20. Any other work assigned by the National Council for Clinical Establishments/ Dte.GHS/ MOHFW. |

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
राष्ट्रीय सचिवालय परिषद

निर्माण भवन,नई दिल्ली
दिनांक: 05.01.2023

निर्माण भवन, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद के सचिवालय में संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए (जिसे कार्य-निष्पादन के आधार पर एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है) निम्नलिखित पद हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:

| पद का नाम | पद की संख्या | अर्हता | अनुभव | | आयु समूह | समेकित पारिश्रमिक प्रतिमाह |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनिवार्य | अनिवार्य | वांछनिय | | |
| परामर्शदाता (नैदानिक प्रतिष्ठान) | 1 | i स्नातक अर्हता-एमबीबीएस,<br>ii स्नातकोत्तर अर्हता<br>क. जन स्वास्थ्य/हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन/ एमडी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर<br>या<br>ख. एमसीआई से मान्यताप्राप्त किसी चिकित्सा विषय में एमडी/एमएस/डिप्लोमा या समतुल्य<br>या<br>ग. एमबीए (हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन/हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन/हेल्थ मैनेजमैन्ट) | i स्नातकोत्तर अर्हता के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव<br>ii कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान | स्वास्थ्य/ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन /प्रबंधन का दो वर्ष का अनुभव | 30 से 65 वर्ष | 1,20,000 |

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तिथि के 15 दिनों के अन्दर अपने बायोडेटा के साथ अर्हता और अनुभव संबंधी दस्तावेजों की प्रतिलिपियों सहित अपना आवेदन help.ceact2010@nic.in पर ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार को चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए www.mohfw.gov.in, www.dghs.gov.in या www.clinicalestablishments.gov.in वेबसाइट देखें।

(राजीव वधावन)
(RAJIV WADHAWAN)
सलाहकार / Adviser
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

| परामर्शदाता का नाम | परामर्शदाता (नैदानिक प्रतिष्ठान) |
|---|---|
| विचारार्थ विषय | **सामान्य विचारार्थ विषय (टीओआर)**<br>1. परामर्शदाता (नैदानिक प्रतिष्ठान) की नियुक्ति पूर्ण रूप से केवल संविदा के आधार पर होगी और परामर्शदाता (नैदानिक प्रतिष्ठान) अपनी नियुक्ति के नियमितिकरण के लिए कोई दावा नहीं करेगा।<br>2. परामर्शदाता संविदाकर्मियों पर लागू केन्द्रीय सरकार/स्वास्थ्य मंत्रालय के सामान्य प्रशासनिक नियमों से बाध्य होगा तथा वह एक कैलेंडर वर्ष में यथानुपात आधार पर 30 दिन के अवकाश का हकदार होगा और अतिरिक्त अवकाश लेने पर वेतन में कटौती की जाएगी। परामर्शदाता द्वारा हाजिरी लगाई जाएगी।<br>3. यह नियुक्ति पूर्णकालिक आधार परहोगी जिसमें कार्य का समय प्रातः 9:30 से सांय 6:00 बजे तक होगा ।<br>4. परामर्शदाता, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होंगे और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम और राष्ट्रीय परिषद का कार्य देख रहे संबंधित नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे । आवश्यकता पड़ने पर संबंधित संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय परिषद के सचिव या उनके प्रति निधि द्वारा भी उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है ।<br>5. परामर्शदाता द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।<br>6. कार्य-निष्पादन की मासिक आधार पर समीक्षा की जाएगी और असंतोषजनक प्रगति होने पर संविदा को समाप्त किया जा सकता है ।<br>7. संविदा को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताए समाप्त किया जा सकता है ।<br>8. परामर्शदाता एक महीने का नोटिस देकर संविदा को समाप्त कर सकता है। ऐसा न करने पर एक महीने का वेतन जब्त कर लिया जाएगा ।<br>9. परामर्शदाता (नैदानिक प्रतिष्ठान) को 1,20,000/- रुपये के समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। परामर्शदाता शहर से बाहर आधिकारिक दौरों के लिए 5400/- रुपए के ग्रेड वेतन वाले समूह 'क' अधिकारियों के लिए लागू टीए/डीए पाने का हकदार होगा, जिसमें एयर इंडिया की इकोनॉमी क्लास की हवाई यात्रा, जहां लागू हो, सम्मिलित है।<br>**विशेष विचारार्थ विषय (टीओआर)**<br>1. राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद की प्रचालन संरचना का रख-रखाव और अद्यतन करना।<br>2. राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद के कार्यों के संबंध में तकनीकी दिशा-निर्देश और इनपुट प्रदान करना । |

| | |
|---|---|
| | 3. राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद को संदर्भित सभी तकनीकी मामलों की जांच करना तथा नोडल अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना और यदि अपेक्षित हो तो राष्ट्रीय परिषद और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत करना।<br>4. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर नैदानिक प्रतिष्ठानों के विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण को अंतिम रूप देना और अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना।<br>5. नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण हेतु ऑनलाइन प्रणाली के विकास को सुगम बनाना।<br>6. प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर नैदानिक प्रतिष्ठान की विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम मानकों को अंतिम रूप देना और सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना। अनुमोदन के पश्चात,आवश्यकता अनुसार नियत समय में इसे अधिसूचित कराना।<br>7. विशेषज्ञों/पेशेवर समुदायों के परामर्श से नए मानक उपचार दिशा-निर्देशों का आलेखन तथा मौजूदा मानक उपचार दिशा-निर्देशों की समीक्षा और अद्यतन करने का कार्य।<br>8. नैदानिक प्रतिष्ठानों के वेब-पोर्टल के विकास हेतु तकनीकी इनपुट उपलब्ध कराना।<br>9. राष्ट्रीय परिषद और इसकी उपसमितियों/उप-समूहों की बैठकों का आयोजन कराना और कार्यवृत्त, आदि रिकार्ड करना। राष्ट्रीय परिषद/उप समितियों/उपसमूहों की बैठकों के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई करना।<br>10. संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ समन्वय से सूचनाओं के प्रसार, जागरुकता निर्माण, उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए कार्यशालाओं या बैठकों का आवश्यकतानुसार आयोजन करना और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करना।<br>11. अधिनियम के कार्यान्वयन और नैदानिक प्रतिष्ठानों हेतु न्यूनतम मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के विकास सहित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करना।<br>12. नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम और उसके अधीन नियमों के उचित कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय करना।<br>13. सभी संसदीय मामलों, प्रश्नों तथा आरटीआई, आरटीआई अपील मामलों, इत्यादि का उत्तर तैयार करना।<br>14. नैदानिक प्रतिष्ठानों से संबंधित न्यायालयी मामलों में कानूनी सहायक की मदद से जवाब, टिप्पणियां, प्रारूप हलफनामा तैयार करना।<br>15. नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु सुविधाओं/बजट स्वीकृति के लिए मंत्रालय के एनएचएम प्रभाग और राज्यों से समन्वय करना।<br>16. नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम, जहां भी लागू हो, के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पीआईपी की सांख्यिकीय सहायक के साथ समीक्षा करना और तदनुसार एनएचएम प्रभाग को टिप्पणियां प्रस्तुत करना। |

| | | |
|---|---|---|
| | 17. | नैदानिक प्रतिष्ठानों के राष्ट्रीय रजिस्टर का संकलन और प्रकाशन कराना । |
| | 18. | राष्ट्रीय परिषद के निदेशानुसार नैदानिक प्रतिष्ठानों के संबंध में आंकड़ों के संग्रहण को सुगम बनाना। |
| | 19. | अधिनियम से संबंधित मामलों के बारे में राष्ट्रीय परिषद और राज्यों का मार्गदर्शन करना। |
| | 20. | राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य । |